तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.74/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म [illegible]तामिल में जारी हुए
11.5.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिव्यांग ठक्कर पुत्र श्री विजय कुमार ठक्कर, जाति– ठक्कर, निवासी– 85 मोनार्च सिटी–1, शेला, अहमदाबाद (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म लीलवती, शॉप नं. 22, 35, मुंसीपल काम्पलेक्स, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 25.2.2022 को फर्म फर्म लीलवती, शॉप नं. 22, 35, मुंसीपल काम्पलेक्स, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी दिव्यांग ठक्कर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ English cheese (Gouda cheese) का नमूना संख्या S-1839 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./657/Act/2022/659 दिनांक 10.3.2022 में अमानक व मिथ्याछाप (sub-standard & Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 व 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी दिव्यांग ठक्कर ने इस न्यायालय में दिनांक 04.5.2023 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रकरण में प्रतिवादी दिव्यांग ठक्कर द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रतिवादी को दिनांक 04.5.2023 को ही सुनाया गया, जिसने यह अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है, भविष्य में अमानक व मिथ्याछाप खाद्य सामग्री नही बेचेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 25.2.2022 को फर्म फर्म लीलवती, शॉप नं. 22, 35, मुंसीपल काम्पलेक्स, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिव्यांग ठक्कर पुत्र श्री विजय कुमार ठक्कर, जाति– ठक्कर, निवासी– 85 मोनार्च सिटी–1 शेला, अहमदाबाद (गुजरात) से फर्म लीलावती के गोडाउन में [illegible] के डिब्बे में रखे हुए खाद्य पदार्थ English cheese (Gouda cheese) के 12 क्रमशः	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.74/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ English cheese (Gouda cheese) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ English cheese (Gouda cheese) के नमूना संख्या S-1839 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./657/Act/2022/659 दिनांक 10.3.2022 के अनुसार अमानक एवं मिथ्याछाप (sub-standard & Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिव्यांग ठक्कर ने अमानक एवं मिथ्याछाप (sub-standard & Misbranded) खाद्य पदार्थ English cheese (Gouda cheese) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत अमानक एवं मिथ्याछाप (sub-standard & Misbranded) खाद्य पदार्थ English cheese (Gouda cheese)के विक्रय हेतु प्रतिवादी दिव्यांग ठक्कर पुत्र श्री विजय कुमार ठक्कर, जाति– ठक्कर, निवासी– 85 मोनार्च सिटी–1, शेला, अहमदाबाद (गुजरात), खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म लीलवती, शॉप नं. 22, 35, मुंसीपल काम्पलेक्स, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी दिव्यांग ठक्कर को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13.6.2023 को पेश हो। (के.आर. खौड़) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:22:24 IST
Reason: SelfAttested